25/63

भारतीय गैर न्यायिक

Rs.20000रु. Rs.20000रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000रु. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 064966

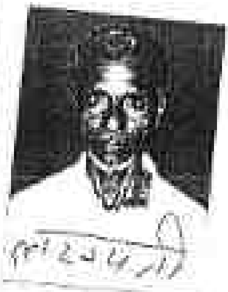

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 10,19,700/-
बाजारू मूल्य	: रु0 10,24,700/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 1,02,500/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख किशोरी लाल उर्फ नन्द किशोर व बाबू लाल पुत्र स्व0 बसन्त लाल, मु0 दरियाई पत्नी स्व0 बसन्त लाल, निवासीगण- ग्राम-मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना - बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया

5-6-08

20000

[illegible]

[illegible] कोषाधिकारी

5101 [illegible]

1624 [illegible]

1220 + 402 [illegible]

[illegible] किशोरी लाल [illegible]

[illegible]

[illegible] तिवारी [illegible]

ने आज [illegible] कार्यालय [illegible] लखनऊ

में आज निबंधक [illegible] समक्ष [illegible]

[illegible] एवं [illegible] किया

[illegible] कबूल किया।

[illegible]

उप निबंधक [illegible]

लखनऊ

[illegible] किशोरी लाल

[illegible]

[illegible] को प्राप्त [illegible]

[illegible] को

स्वीकार किया। [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 064967

है, एवम् लखपती पुत्र पुरन कोरी निवासी–ग्राम मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नौगाँव, जिला फतेहपुर, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या–475 रकबा 0.645 हेक्टेअर, खसरा संख्या–374 रकबा 0.045 हेक्टेअर, खसरा संख्या–429 रकबा 1.056 हेक्टेअर, खसरा संख्या–357 रकबा 0.107 हेक्टेअर, कुल रकबा 1.853 हेक्टेअर के 1/2 भाग अर्थात 0.927 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ मालिक, कामिल व

5-6-46

जानकी पहचान श्री

पुत्र श्री

निवासी

व श्री

पुत्र

निवासी

उप निबन्धक

बैनामा अद कर्त्ताओं के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

उप निबन्धक प्रयाग

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

064968

-3-

काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00030 के अनुसार विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग, किसी न्यायालय या सरकारी

रु 20000 भारतीय गैर न्यायिक रु 20000

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

064969

कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नही है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 10,19,700/- (रूपया दस लाख उन्नीस हजार सात सौ रूपया) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण

भारतीय गैर न्यायिक
बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
Rs.20000
INDIA NON JUDICIAL
Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

064970

इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वाामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रुप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

561575

सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.   Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये   FIVE HUNDRED RUPEES

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ठि ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.927 हेक्टेअर की मालियत रू0 10,19,700/-

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

होती है, परन्तु उक्त भूमि पर एक आम का पेड़ है जिसकी मालियत रू0 5000/- होती है, इस प्रकार भूमि की कुल मालियत रू0 10,24,700/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू0 1,02,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नही है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
रु. 100
ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–475 रकबा 0.645 हेक्टेअर, खसरा संख्या–374 रकबा 0.045 हेक्टेअर, खसरा संख्या–429 रकबा 1.056 हेक्टेअर, खसरा संख्या–357 रकबा 0.107 हेक्टेअर, कुल रकबा 1.853 हेक्टेअर के 1/2 भाग अर्थात 0.927 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
रु. 100
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>खसरा न0 475</u>

उत्तर : खसरा संख्या- 478, 509, 510
दक्षिण : खसरा संख्या- 474, 326
पूरब : खसरा संख्या-512, 513
पश्चिम : खसरा संख्या-476, 477, 480

<u>खसरा न0 374</u>

उत्तर	: खसरा संख्या-373
दक्षिण	: खसरा संख्या-373
पूरब	: खसरा संख्या-373
पश्चिम	: खसरा संख्या-375

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

खसरा न0 429

उत्तर	: ग्राम सीमा यूसफ नगर बगियागऊ
दक्षिण	: खसरा संख्या-417, 428
पूरब	: खसरा संख्या-430
पश्चिम	: खसरा संख्या-417

खसरा न0 357

उत्तर	: खसरा संख्या-354, 355
दक्षिण	: खसरा संख्या-380, 387
पूरब	: खसरा संख्या-358
पश्चिम	: खसरा संख्या-387

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

र प्रदेश UTTAR PRADESH

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता ने रू0 3,39,900/- (रुपया तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या-450592 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

2. विक्रेता ने रू0 3,39,900/- (रुपया तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या-450594 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3. विक्रेता ने रू0 3,39,900/- (रूपया तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) द्वारा चेक संख्या-450595 दिनांकित 05.06.2006 पंजाब नेशनल बैंक, लखनऊ क्रेता से प्राप्त किया।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य विक्रेता को रू0 10,19,700/- (रूपया दस लाख उन्नीस हजार सात सौ रूपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में समक्ष गवाहान बिना किसी जोर दबाव के, व स्वस्थ चित्त व मन

की दशा में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

लखनऊ
दिनांक: 05.06.2006
गवाह

1.

विक्रेता

2.

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

(बेंकट रमण सिंह)
एडवोकेट

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील व
जिला [illegible]

खसरा संख्या- 475, 374, 429, 357
विक्रीत रकबा - 0.927 हे0

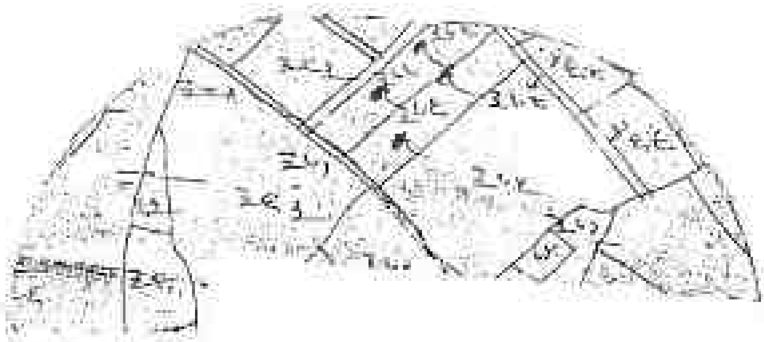

[illegible]

क्रेता

विक्रे

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील व

जिला [illegible]

खसरा संख्या- उपरोक्त

रकबा - उपरोक्त

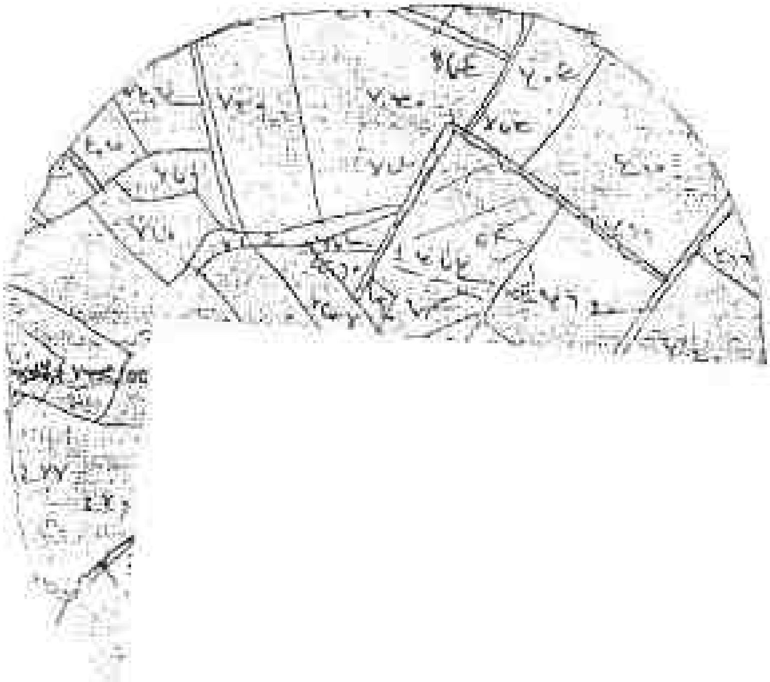

वि

क्रेता

ग्राम [handwritten] परगना [handwritten] तहसील व

जिला [handwritten]

खसरा संख्या– [handwritten]

रकबा – [handwritten]

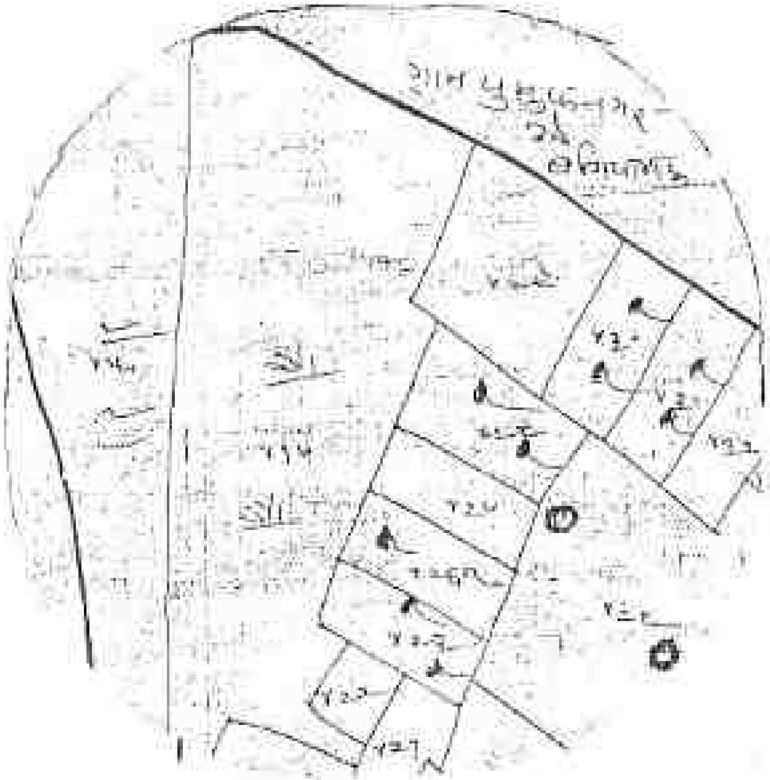

विक्रेता

क्रेता

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- किशोरीलाल उर्फ नन्द किशोर पुत्र बाबूलाल निः मुजफ्फर नगर खुटवल जिला लखनऊ

बायें हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

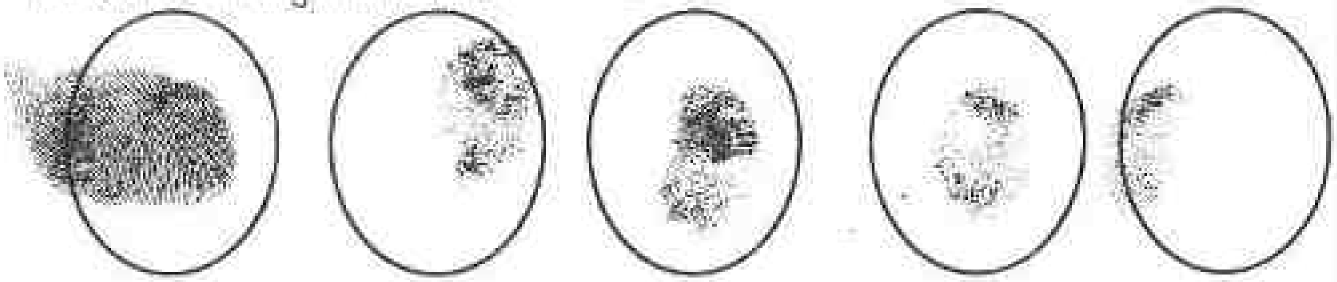

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

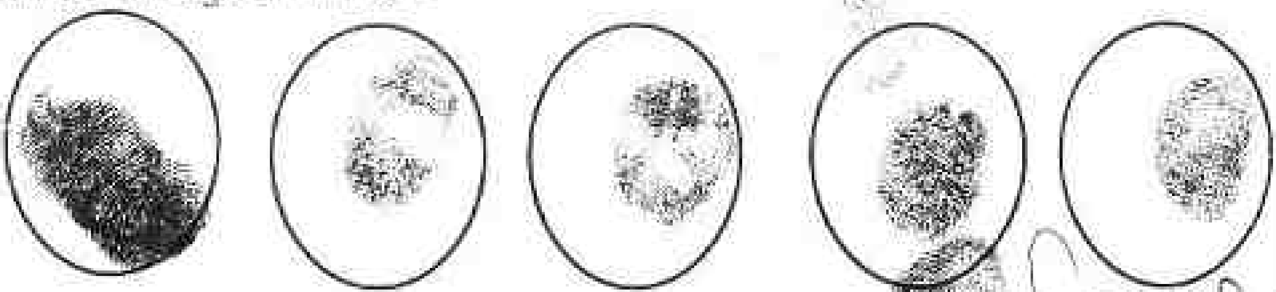

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- बाबूलाल पुत्र बसन्त लाल निः मुजफ्फर नगर खुटवल जिला लखनऊ

बायें हाथ की की अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

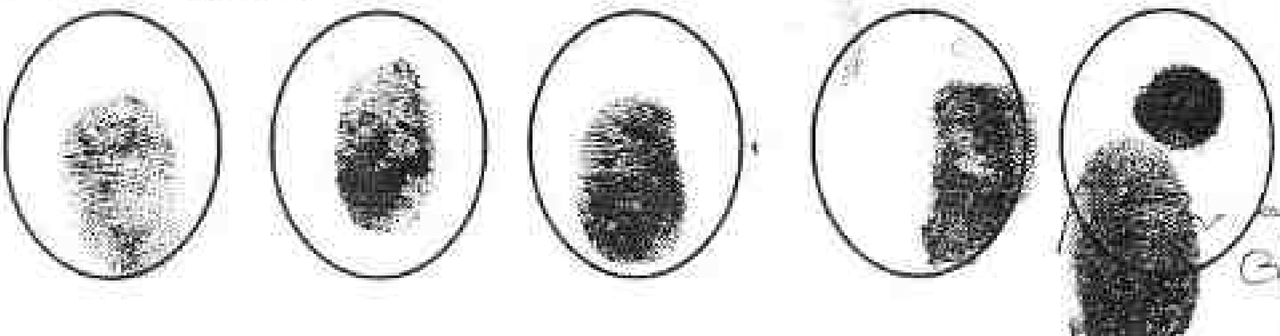

[illegible]

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

5/6/06
7
9841 776
41749